अदालतों और अभियोजन एजेंसियों का संगठन

1. अपराध न्यायालयों की संरचना और उनका क्षेत्राधिकार (Hierarchy of Criminal Courts and Their Jurisdiction):

भारत में आपराधिक न्यायालयों की संरचना को **सीआरपीसी (Criminal Procedure Code)** के तहत निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):**
  - देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत पर होता है।
  - आपराधिक मामलों में संवैधानिक व्याख्या और विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions) पर निर्णय लेता है।
- **उच्च न्यायालय (High Court):**
  - राज्य स्तर पर आपराधिक मामलों की अपील और पुनरीक्षण सुनवाई करता है।
  - इसकी अंतर्निहित शक्तियां प्रक्रिया के दौरान न्याय सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
- **सत्र न्यायालय (Sessions Court):**
  - यह जिले का उच्चतम न्यायालय है जो गंभीर अपराधों (जैसे हत्या, बलात्कार आदि) पर विचार करता है।
  - सत्र न्यायालय को मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा देने का अधिकार है।
- **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate):**
  - मामूली और मध्यम गंभीरता वाले मामलों की सुनवाई करता है।
  - अधिकतम 7 साल की सजा देने का अधिकार।
- **प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class):**
  - छोटे अपराधों की सुनवाई करता है।
  - अधिकतम 3 साल की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
- **द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate Second Class):**
  - मामूली अपराधों पर विचार करता है।
  - अधिकतम 1 साल की सजा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है।
- **कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate):**
  - मुख्यतः लोक व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग रोकने जैसे मामलों में कार्य करता है।

2. अभियोजन एजेंसियों का संगठन (Organization of Prosecuting Agencies):

- **पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Public Prosecutor):**
  - यह अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
  - मुख्य रूप से सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्य करता है।
- **अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Additional Public Prosecutor):**
  - पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की सहायता करता है और कार्यभार बांटता है।
- **विशेष अभियोजक (Special Prosecutor):**
  - विशेष अधिनियमों (जैसे एनडीपीएस, पोक्सो आदि) के तहत मामलों में कार्य करता है।
  - इन्हें विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है।
- **पुलिस अभियोजन अधिकारी (Police Prosecutor):**
  - निचली अदालतों में पुलिस की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - मुख्यतः मजिस्ट्रेट न्यायालय में काम करता है।
- **राज्य अभियोजन निदेशक (Director of Prosecution):**
  - राज्य स्तर पर अभियोजन एजेंसियों का नेतृत्व करता है।

- अभियोजन नीति का निर्माण और निगरानी करता है।

3. अभियोजन की वापसी (Withdrawal of Prosecution):

- अभियोजन की वापसी का प्रावधान **सीआरपीसी की धारा 321** के तहत है।
- **उद्देश्य:**
  - यदि न्याय के हित में अभियोजन को वापस लेना आवश्यक हो।
  - यदि सामाजिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए अभियोजन को रोकना उचित हो।
- **प्रक्रिया:**
  - अभियोजन की वापसी केवल सरकारी वकील (Public Prosecutor) द्वारा की जा सकती है।
  - सरकारी वकील को अदालत में उचित कारण प्रस्तुत करना होता है।
  - न्यायालय अभियोजन वापसी के कारणों की जांच करता है और यदि वह न्यायसंगत है, तो अनुमति देता है।
- **उदाहरण:**
  - राजनीतिक मामलों में जहां अभियोजन से सामाजिक या सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है।
  - ऐसी स्थिति में जहां साक्ष्य अपर्याप्त हों और मामले को आगे बढ़ाना न्यायसंगत न हो।

अगर आपको इन विषयों पर और विस्तार चाहिए, तो बताएं!